कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 16
कुक्षी, जिला–धार (म.प्र.)

ई मेल – eendd16kukshi@gmail.com फोन :– 07297–242307

पत्र. क्रमांक ... /कार्य/2018/ कुक्षी, दिनांक 23/02/2018

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
वन मण्डल,
अलीराजपुर (सामान्य)

विषयः– अलीराजपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना आवेदन क्रमांक FP/MP/IRRIG/29973/2017 के भाग–2 में ऑनलाईन प्रविष्टि बाबत्।

संदर्भः– 1. आपका पत्र क्रमांक 018/माचि./524 दिनांक 21.02.2018.
2. जिलाधीश महोदय, जिला अलीराजपुर का आदेश क्रमांक रीडर–1/2017/4568 /रीडर–1/2017/4568 दिनांक 14.11.2017.
3. जिलाधीश महोदय, जिला अलीराजपुर का आदेश क्रमांक 694/रीडर/2018/ दिनांक 15.02.2018.

----::000::----

1. उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है, कि अलीराजपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाली 14.958 हैक्टेयर भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अलीराजपुर जिले में माननीय जिलाधीश महोदय, अलीराजपुर द्वारा ग्राम झण्डाना, तहसील सोंडवा में जमीन उपलब्ध कराने का आदेश पारित किया गया है। आदेश क्रमांक रीडर–1/2017/4568 दिनांक 14.11.2017 संलग्न है। भूमि का विवरण निम्नानसार है :–

क्रमांक	तहसील का नाम	पटवारी हल्का नम्बर	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	रकबा
1	2	3	4	5	6
1	सोण्डवा	67	झण्डाना	7	7.068
2	सोण्डवा	67	झण्डाना	45	10.874

माननीय जिलाधीश महोदय, अलीराजपुर द्वारा उपरोक्त आदेश में संशोधन करते हुए आदेश क्रमांक 694/रीडर/2018/ दिनांक 15.02.2018 से भूमि आवंटन में आंशिक संशोधन किया है, जो कि निम्नानुसार है :–

क्रमांक	तहसील का नाम	पटवारी हल्का नम्बर	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	रकबा
1	2	3	4	5	6
1	सोण्डवा	67	झण्डाना	7	7.068
2	सोण्डवा	67	झण्डाना	45	9.932
योग					17.000 हेक्टेयर

उपरोक्त आदेश त्वरित संदर्भ हेतु संलग्न है।

एफ.सी.ए.एप्लीकेशन के प्रपोजल क्रमांक FP/MP/IRRIG/29973/2017 के भाग–एक के शीर्ष एल में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई भूमि 17 हेक्टेयर को मान्य करने का कष्ट करें। 10.418 हेक्टेयर डिलिट कर दी गई है।

2. इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।

3. इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।

4. प्रस्तावित वन क्षेत्र में वन अधिकार पत्रों के संबंध में कलेक्टर जिला अलीराजपुर से एफ.आर.ए. प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर लिया गया है। आदेश क्रमांक 762 दिनांक 27.01.2018 जो संलग्न है। परियोजना में पाईप लाईन जमीन के नीचे बिछाई जावेगी अतः किसी भी वन अधिकार पत्र धारक को नहीं हटाया जावेगा। फसल मुआवजे के संबंध में नियमानुसार मुआवजा प्रदान किया जावेगा। इस सबंध में वचन पत्र संलग्न है।

सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्रः– उपरोक्तानुसार
आदेश की प्रति।

(एस.के. सिंगोड़)
कार्यपालन यंत्री
नर्मदा विकास संभाग क्रं.16
कुक्षी, जिला–धार

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 16
कुक्षी, जिला–धार (म.प्र.)

ई मेल – eendd16kukshi@gmail.com फोन :– 07297–242307

–:: वचन पत्र ::–

प्रमाणित किया जाता है कि अलीराजपुर उद्‌वहन सिंचाई परियोजना में उपयोग में आने वाली वन भूमि पर पाईप लाईन जमीन के नीचे बिछाई जावेगी। किसी भी वन अधिकार पत्र धारक को हटाया नहीं जावेगा। फसल मुआवजे के संबंध में नियमानुसार मुआवजा प्रदान किया जावेगा।

(एस.के. सिंगोड़)
कार्यपालन यंत्री
नर्मदा विकास संभाग क्रं.16
कुक्षी, जिला–धार

न्यायालय कलेक्टर, जिला अलीराजपुर(म.प्र.)

क्रमांक / 694 / रीडर / 2018 अलीराजपुर, दिनांक 15 / 02 / 2018

प्र0क–0019 / अ–19 (3) / 2017–18

:: संशोधित आदेश ::

(पारित दिनांक 15 / 02 / 2018)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक–16 कुक्षी जिला धार का पत्र क्रमांक–2479 दिनांक 27.11.2017 के द्वारा पूर्व मे आबंटित शासकीय भूमि रकबा–17.942 हेक्टर के स्थान पर रकबा–17.00 हेक्टर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित कर संशोधित आदेश जारी करने का अनुरोध किया किया गया है।

जिसके संबंध में न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक–47 / अ–19(3) / 2016–2017 मे पारित आदेश दिनांक 14 / 11 / 2017 से ग्राम झण्डाना के सर्वे नम्बर–07 रकबा–7.068 हेक्टर मद पहाड एवं सर्वे नम्बर–45 रकबा–10.874 हेक्टर मद पहाड इस प्रकार कुल रकबा–17.942 हेक्टर राजस्व शासकीय भूमि वन विभाग मध्य प्रदेश शासन को आवंटन / हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई थी।

न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक–47 / अ–19(3) / 2016–2017 मे पारित आदेश दिनांक 14 / 11 / 2017 मे मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता–1959 की धारा–51 के अन्तर्गत संशोधित आदेश जारी करने के संबंध मे आयुक्त महोदय,इन्दौर संभाग, इन्दौर से पुनरीक्षण की अनुमति प्राप्त की गई ।

प्रकरण मे आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा आदेश क्रमांक–53 / कोर्ट / 2018 इन्दौर दिनांक 02.02.2018 के द्वारा प्रशनागत प्रकरण मे पूर्व पारित आदेश दिनाक 14.11.2017 मे स्वंय के द्वारा पारित होने से संहिता की धारा–51 के अन्तर्गत अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

अतः कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक–16 कुक्षी जिला धार को ग्राम झण्डाना तहसील सोण्डवा के सर्वे नम्बर–7 रकबा 7.068 हेक्टर (मद पहाड़) एवं सर्वे नम्बर 45 रकबा 10.874 (मद पहाड़) मे से पैकी रकबा–9.932 हेक्टर इस प्रकार कुल रकबा–17.00 हेक्टर शासकीय भूमि को वन विभाग मध्य प्रदेश शासन को हस्तांतरित की जाती है। प्रकरण में पूर्व आदेश अनुसार शेष शर्ते यथावत रहेगी।

तदनुसार संशोधित आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि का सीमांकन तहसीलदार सोण्डवा द्वारा किया जाकर भूमि का कब्जा वन मण्डलाधिकारी अलीराजपुर को सौपा जाए। कब्जा रसीद इस न्यायालय को भेजे। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जाए।

आदेश पारित एवं घोषित किया गया।

(गणेश शंकर मिश्रा)
कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

पृ0क्रमांक / 695 / रीडर / 2018 अलीराजपुर दिनांक 15 / 02 / 2018

प्रतिलिपिः— (आश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ)

1— प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व / वन विभाग भोपाल।

2— आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर।

3— मुख्य वन संरक्षक, वृत्त इन्दौर।

4— वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल अलीराजपुर।

5— कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक—16 कुक्षी जिला धार।

6— अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोण्डवा।

7— तहसीलदार, तहसील सोण्डवा की ओर आदेश अनुसार भूमि का रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु ।

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर